

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(34)ब.घो.-158/IEC/ICDS/17-18/ 22375-407

जयपुर दिनांक : 5-2-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:- बजट घोषणा -158 के क्रम आंगनबाडी केन्द्रों को प्री स्कूल सेटअप के रूप में विकसित करने के लिए राजसीको द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच बाबत।

सन्दर्भ:- इस निदेशालय का पत्रांक 176794-77131 दिनांक 10.11.2017 एवं पत्रांक 9293-9630 दिनांक 11.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने जिलों में राजसीको द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की जिला स्तर पर जांच समिति/समितियों बनाकर उसकी जांच करायें। जांच समिति एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। जिसे संकलित कर जांच रिपोर्ट उपनिदेशक द्वारा निदेशालय को भिजवायी जानी थी।

अतः आप यह सुनिश्चित करे कि संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2018 की अनुपालना में सीडीपीओं से सूचना प्राप्त कर एकजाई कर शीघ्र ही भिजवाएं। जांच समिति की रिपोर्ट में पाई गई कमियों का स्पष्ट वर्णन हो। साथ ही राजसीको द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री यदि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाई गई है तो इस प्रकार की अब तक अवितरित सामग्री को आंगनबाडी केन्द्रों पर वितरित नहीं करावें।

(42) ✓
(शुचि शर्मा)

आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(34)ब.घो.-158/IEC/ICDS/17-18/ 22408-714

जयपुर दिनांक : 5-2-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
4. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बिन्दु करुणाकर)

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर